उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़
आदेश पत्रक

परमिशन अपील वाद संख्या – 43/2016

दशरथ मुण्डा बनाम् रितलाल मुण्डा

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
19/12/2018	**– :: आदेश ::–**	

अभिलेख उपस्थापित। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना एवं समर्पित कागजातों तथा निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया।

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ के न्यायालय में दायर परमिशन वाद संख्या– 96/2015–16 दशरथ मुण्डा बनाम् रतिया देवी में दिनांक 02.08.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन अपीलार्थी दशरथ मुण्डा पिता स्व0 रेंगटा मुण्डा, साकिन–रामगढ़, पो0–रामगढ़, थाना–रामगढ़, जिला–रामगढ़ द्वारा दायर किया गया है।

अपीलार्थी द्वारा आज दिनांक 19.12.2018 का न्यायालय में आवेदन समर्पित करते हुए, अपील आवेदन को वापस लेने की अनुमति देते हुए कार्यवाही समाप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, रामगढ़ द्वारा परमिशन वाद संख्या– 96/2015–16 दशरथ मुण्डा बनाम् रतिया देवी में आवेदक दशरथ मुण्डा उर्फ डीमन मुण्डा द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा–46 अन्तर्गत मौजा रामगढ़, थाना नं0–82, थाना–रामगढ़ अर्न्तगत खाता नं0– 150, प्लॉट नं0–1021, रकबा – 0.10 एकड़ भूमि क्रेता– रतिया देवी, पति–गोवर्धन करमाली, ग्राम–दुलमी, पो0–हरहद कण्डेर, थाना–रामगढ़, हाल थाना–रजरप्पा, जिला–रामगढ़ के नाम से अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में दिनांक–19.10.2015 को पारित आदेश में बिक्री करने की अनुमति प्रदान की गई है। पुनः उक्त परमिशन वाद में दिनांक 02.08.2016 को पारित आदेश में आवेदक द्वारा अनुमति आवेदन को अस्वीकृत किया गया है।

अतः उक्त परिपेक्ष्य में पुनः नये सिरे से विधिवत जाँच कर नियमानुसार सुनवाई कर आदेश पारित करने हेतु **रिमाण्ड** किया जाता है। इसी मंतव्य के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। निम्न न्यायालय का अभिलेख भेजते हुए अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

19/12/18

उपायुक्त
रामगढ़।

19/12/18

उपायुक्त,
रामगढ़।